राजस्थान सरकार

कार्यालय, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

—:: कार्यालय आदेश ::—

मौसम विभाग के पूर्वानुमान आगामी दिवसों में जिले में अत्यधिक वर्षा/आपातकाल की संभावना के मध्यनजर विद्यार्थी हित एवं विद्यार्थी सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, सिरोही के प्रस्ताव अनुसार जिले में संचालित आंगनवाडी एवं कक्षा 01 से 12 के समस्त राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु अवकाश घोषित किया जाना अतिआवश्यक है।

अतः मैं अल्पा चौधरी, जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सिरोही आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कक्षा प्री–प्राईमरी से कक्षा 12 वीं तक के छात्र–छात्राओं हेतु दिनांकः 25.08.2025 का अवकाश घोषित किए जाने के आदेश पारित करती हूँ।

यह अवकाश केवल विद्यार्थियों हेतु लागू होगा एवं समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों व आंगनवाडी में कार्यरत समस्त स्टाफ यथावत कार्य करेगें। जिले के समस्त संस्थाप्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। यदि कोई भी संस्थाप्रधान उक्त अवधि में विद्यालय संचालित करते हुए पाया जाता है, तो उनके विरूद्व आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

क्रमांकः सीडीईओ/सशि/सि/2025/ दिनांकः

प्रतिलिपि :—

1. श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, सिरोही।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), प्रारम्भिक शिक्षा, सिरोही।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला–सिरोही।
6. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ/संस्थाप्रधान (राजकीय/निजी), जिला–सिरोही।
7. रक्षित पत्रावली।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.08.24 15:17:07 IST
Reason: Approved

Education News Group

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर चित्तौडगढ (राज.)

क्रमांकः– सामान्य / शिक्षा / 2025–26 /   दिनांक :– 24.08.2025

कार्यालय आदेश

मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार जिले में अतिवृष्टि की प्रबल संभावना एवं अत्यधिक भारी वर्षा घोषित किये जाने के कारण मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौडगढ एवं उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, चित्तौडगढ द्वारा विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु दिनांक 25.08.2025 को अवकाश घोषित करने का निवेदन किया है।

अतः आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के अध्याय 4 की धारा 30 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चित्तौडगढ जिले में संचालित कक्षा 1 से 12 तक के समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों एवं आंगनवाडी केन्द्रो में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिए दिनांक 25.08.2025 को अवकाश घोषित किया जाता है।

यह अवकाश केवल छात्र–छात्राओं के लिए लागू रहेगा। समस्त विद्यालयों तथा आंगनवाडी केन्द्रों पर कार्यरत स्टाफ यथावत कार्य करता रहेगा। जिले के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। यदि कोई भी संस्था प्रधान इस आदेश की अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(प्रभा गौतम)
अति. जिला कलक्टर,
चित्तौडगढ

Education News Group

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1– अति. मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान।

2– शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

3– पुलिस अधीक्षक, चित्तौडगढ

4– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, चित्तौडगढ

5– अति. जिला कलक्टर (प्रशासन / भू.अ.), चित्तौडगढ

6– मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौडगढ

7– समस्त उपखण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ

8– समस्त तहसीलदार, चित्तौडगढ

9– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ

10– उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, चित्तौडगढ

11– जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक / प्रारम्भिक (मुख्यालय), चित्तौडगढ

12–समस्त, संस्था प्रधान जिला चित्तौडगढ

13– सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, चित्तौडगढ

अति. जिला कलक्टर,
चित्तौडगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabha Gautam
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.08.24 18:33:47 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

क्रमांक :–जिला कलक्टर / उदय / निजी / 2025 / दिनांक :–24.08.2025

–: आदेश :–

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिवसों में जिले में भारी बारिश की संभावना के मद्देनजर विद्यार्थी हित एवं विद्यार्थी सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव अनुसार जिले में संचालित कक्षा प्री–प्राईमरी से 12 के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु अवकाश घोषित किया जाता हैं।

अतः मैं नमित मेहता, जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उदयपुर आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उदयपुर जिले में संचालित समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा प्री–प्राईमरी से कक्षा 12वीं तक के छात्र / छात्राओं का दिनांक 25.08.2025, सोमवार का अवकाश घोषित किए जाने के आदेश पारित करता हूँ।

यह अवकाश केवल छात्र–छात्राओं हेतु लागू होगा एवं समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कार्यरत समस्त स्टाफ नियमानुसार यथावत कार्य करेगा। जिले के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित करें। यदि कोई भी संस्था प्रधान उक्त अवधि में विद्यालय संचालित करते हुए पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर एवं
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन
प्राधिकरण उदयपुर

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक महोदय स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग उदयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक / प्रारंभिक उदयपुर।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा समस्त–सलुम्बर।
5. कार्यालय प्रति।

जिला कलक्टर एवं
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन
प्राधिकरण उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Namit Mehta
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.08.24 17:14:25 IST
Reason: Approved

Education News Group

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक कअ/सामान्य /2025–2026/ (राजकाज संदर्भ क्रमांक)   दिनांक यथाहस्ताक्षर

:: आदेश ::

मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के आधार पर अजमेर जिले में भारी बारिश व कही कही अत्यंत भारी बारिश की प्रबल संभावनों का रेड अलर्ट घोषित किये जाने के कारण मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अजमेर ने विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को मध्यनजर रखते हुये दिनांकः– 25.08.2025 को कक्षा प्री प्राईमरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित करने का निवेदन किया है।

अतः अजमेर जिले में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आगामी दिवसों में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार भारी बारिश के संदर्भ में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर के प्रस्ताव अनुसार मैं लोक बंधु (आई0ए0एस0) जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अजमेर आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अजमेर जिले के समस्त आंगनबाडी केन्द्रों एवं समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा प्री प्राईमेरी से 12 वीं तक के विद्यार्थियों के लिए दिनांक 25.08.2025 का अवकाश घोषित करता हूँ। यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए लागू होगा।

समस्त स्टॉफ का समय यथावत रहेगा। उक्त आदेश की अवहेलना करने वाले आंगनबाडी केन्द्र एवं राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

क्रमांकः समसंख्यक / राजकाज संदर्भ क्रमांक)   दिनांक यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. श्रीमान अति0 मुख्य सचिव महोदय आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर।
02. श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर।
03. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
04. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग अजमेर ।
05. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, अजमेर ।
06. क्षेत्रीय अधिकारी, सी.बी.एस.सी., अजमेर को पालनार्थ ।
07. संभागीय निरीक्षक, संस्कृत शिक्षा, अजमेर को पालनार्थ ।
08. उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग अजमेर।
09. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रा.शि./ मा.शि. अजमेर ।
10. मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, जिला अजमेर ।
11. समस्त संस्था प्रधान राजकीय / गैर राजकीय विद्यालय जिला अजमेर।
12. कार्यालय प्रति/रक्षित पत्रावली।

Education News Group

<u>अति–आवश्यक</u>

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर,सीकर

क्रमांकः–सीडीईओ / सीकर / सा0प्रशा0–ाा / 2025 / 663 दिनांकः–24.08.2025

आदेश

जिले में हो रही भारी बरसात एवं मौसम विभाग द्वारा जारी अतिवृष्टि की चेतावनी एवं छात्र–छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये दिनांक 25.08.2025(सोमवार) को जिले के समस्त राजकीय एवं निजी विधालयों में पढने वाले प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर तक के सभी छात्र–छात्राओं हेतु शैक्षणिक अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त अवकाश आदेश, विधालय के कार्मिको पर लागू नही होगा एवं विधालयों के समस्त कार्मिक यथावत् अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। जिले के समस्त संस्था प्रधान आदेश की पालना सुनिश्चित करें।

(मुकुल शर्मा)
जिला कलक्टर,सीकर

क्रमांकः–सीडीईओ / सीकर / सा0प्रशा0–ाा / 2025 / 663 दिनांकः–24.08.2025

प्रतिलिपि–

1 निदेशक, माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2 समस्त उपखण्ड अधिकारी, जिला सीकर
3 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, चूरू संभाग, चूरू
4 जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा, सीकर
5 समस्त संस्था प्रधान / पीईईओ / युसीईईओ जिला सीकर
6 कार्यालय प्रति

जिला कलक्टर,सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukul Sharma
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.08.24 16:47:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17352324

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

क्रमांकःसहायता/बाढ़/अति.वृष्टि/2025-26/ई-फाईल **दिनांक :- यथाहस्ताक्षर**

कार्यालय आदेश

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिवसों में जिले में भारी बारिश की संभावना के मद्देनजर मार्गो पर जलभराव एवं विद्यालय भवनों की जर्जर स्थिति को देखते हुए विद्यार्थी हित एवं विद्यार्थी सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी टोंक के प्रस्ताव अनुसार जिले में संचालित आंगनबाडी एवं कक्षा प्री-प्राईमरी से 12 के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु अवकाश घोषित किया जाना अति आवश्यक हैं।

अतः मैं कल्पना अग्रवाल, जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, टोंक आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, टोंक जिले में संचालित समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों तथा आंगनबाडियों में अध्ययनरत कक्षा प्री-प्राईमरी से कक्षा 12वीं तक के छात्र/छात्राओं का दिनांक 25.08.2025 से 27.08.2025 तक का अवकाश घोषित किए जाने के आदेश पारित करती हूँ।

यह अवकाश केवल छात्र-छात्राओं हेतु लागू होगा एवं समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों व आंगनबाडीयों में कार्यरत समस्त स्टाफ यथावत कार्य करेगा। जिले के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता हैं कि वे इस आदेश की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित करें। यदि कोई भी संस्था प्रधान उक्त अवधि में विद्यालय संचालित करते हुए पाया जाता हैं, तो उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

जिला कलक्टर
टोंक

क्रमांकःसहायता/बाढ़/अति.वृष्टि/2025-26/ई-फाईल **दिनांक :- यथाहस्ताक्षर**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. **श्रीमान् निदेशक महोदय, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।**
2. **संयुक्त निदेशक महोदय, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।**
3. **मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, टोंक।**
4. **जिला शिक्षा अधिकारी, मु0 मा0/प्रा0 शि0 टोंक।**
5. **समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, टोंक।**
6. **समस्त संस्थाप्रधान राजकीय/गैर राजकीय विद्यालय, टोंक।**
7. **रक्षित पत्रावली।**

जिला कलक्टर
टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpana Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.08.24 16:29:16 IST
Reason: Approved

Education News Group

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक कअ/सामान्य /2025–2026/ (राजकाज संदर्भ क्रमांक) दिनांक यथाहस्ताक्षर

:: आदेश ::

मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के आधार पर अजमेर जिले में भारी बारिश व कही कही अत्यंत भारी बारिश की प्रबल संभावनों का रेड अलर्ट घोषित किये जाने के कारण मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अजमेर ने विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को मध्यनजर रखते हुये दिनांकः– 25.08.2025 को कक्षा प्री प्राईमरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित करने का निवेदन किया है।

अतः अजमेर जिले में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आगामी दिवसों में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार भारी बारिश के संदर्भ में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर के प्रस्ताव अनुसार मैं लोक बंधु (आई0ए0एस0) जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अजमेर आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अजमेर जिले के समस्त आंगनबाडी केन्द्रों एवं समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा प्री प्राईमेरी से 12 वीं तक के विद्यार्थियों के लिए दिनांक 25.08.2025 का अवकाश घोषित करता हूँ। यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए लागू होगा।

समस्त स्टॉफ का समय यथावत रहेगा। उक्त आदेश की अवहेलना करने वाले आंगनबाडी केन्द्र एवं राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

Education News Group

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

क्रमांकः समसंख्यक / राजकाज संदर्भ क्रमांक) दिनांक यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. श्रीमान अति0 मुख्य सचिव महोदय आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर।
02. श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर।
03. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
04. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग अजमेर ।
05. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, अजमेर ।
06. क्षेत्रीय अधिकारी, सी.बी.एस.सी., अजमेर को पालनार्थ ।
07. संभागीय निरीक्षक, संस्कृत शिक्षा, अजमेर को पालनार्थ ।
08. उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग अजमेर।
09. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रा.शि./ मा.शि. अजमेर ।
10. मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, जिला अजमेर ।
11. समस्त संस्था प्रधान राजकीय / गैर राजकीय विद्यालय जिला अजमेर।
12. कार्यालय प्रति/रक्षित पत्रावली।

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर,सीकर

क्रमांकः–सीडीईओ/सीकर/सा0प्रशा0–II/2025/663 दिनांकः–24.08.2025

आदेश

जिले में हो रही भारी बरसात एवं मौसम विभाग द्वारा जारी अतिवृष्टि की चेतावनी एवं छात्र–छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये दिनांक 25.08.2025(सोमवार) को जिले के समस्त राजकीय एवं निजी विधालयों में पढने वाले प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर तक के सभी छात्र–छात्राओं हेतु शैक्षणिक अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त अवकाश आदेश, विधालय के कार्मिको पर लागू नही होगा एवं विधालयों के समस्त कार्मिक यथावत् अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। जिले के समस्त संस्था प्रधान आदेश की पालना सुनिश्चित करें।

(मुकुल शर्मा)

जिला कलक्टर,सीकर

क्रमांकः–सीडीईओ/सीकर/सा0प्रशा0–II/2025/663 दिनांकः–24.08.2025

प्रतिलिपि–

1 निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

2 समस्त उपखण्ड अधिकारी, जिला सीकर

3 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, चूरू संभाग, चूरू

4 जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, सीकर

5 समस्त संस्था प्रधान/पीईईओ/युसीईईओ जिला सीकर

6 कार्यालय प्रति

जिला कलक्टर,सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukul Sharma
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.08.24 16:47:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17352324

StudyGovtExam

(राजस्थान सरकार)

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़ राज0

Email: DM.KOTPUTLI.BEHROR@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक:– सहायता/राजकाज दिनांक:– 24.08.2025

–:आदेश:–

मौसम विभाग राज० जयपुर द्वारा दिनांक 25 अगस्त 2025 को जिले में अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। अत उक्त दिवसों में मौसम विभाग द्वारा अति भारी वर्षा की चेतावनी को मध्येनजर रखते हुये जिले में संचालित समस्त आंगनबाडी केन्द्रों एवं जिले के कक्षा 01 से 12 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों के अति भारी वर्षा से बचाव एवं विद्यार्थियों एवं आगंनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के मध्येनजर रखते हुये जिले में उक्त दिवसों में विद्यालय एवं आगंनवाडी केन्द्रों का अवकाश घोपित किया जाना नितांत आवश्यक है।

अतः मै प्रियंका गोस्वामी, जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कोटपूतली–बहरोड , आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मौसम विभाग की दिनांक 25 अगस्त 2025 तक जिले में अति भारी वर्षा की चेतावनी / पूर्वानुमान को मध्येनजर रखे हुये कोटपूतली–बहरोड जिले में संचालित समस्त आंगनबाडी केन्द्रों एवं जिले के कक्षा 01 से 12 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों का उक्त दिवसों में अवकाश घोपित करती हूं। यह आदेश केवल कक्षा 01 से 12 के विद्यार्थियों/ छात्र–छात्राओं एवं आगंनबाडी केन्द्रों पर लागू होगा। विद्यालय एवं आंगनवाडी स्टाफ यथावत कार्य करेंगे। जिले के समस्त संस्था प्रधान/प्रभारी आंगनबाडी केन्द्रों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की अक्षरशः पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें। यदि कोई भी संस्था प्रधान/प्रभारी उक्त समयावधि में विद्यालय/आंगनवाडी केन्द्र संचालित करता पाया गया जाता है, तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में विहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(प्रियंका गोस्वामी)
जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
कोटपूतली–बहरोड

कमांक:– सहायता/राजकाज दिनांक:– 24.08.2025

प्रतिलिपि:–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित है।

1. श्रीमान् अति० मुख्य सचिव महोदय, आपदा प्रबधंन एंव सहायता विभाग राज० जयपुर।
2. श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, संभाग।
3. अति० जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड।
4. उपनिदेशक महिला एंव बाल विकास विभाग कोटपूतली–बहरोड़ एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटपूतली–बहरोड को भेजकर लेख है कि आप उक्त आदेश की अक्षरशः/कठोरता से पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें।
5. उपखण्ड अधिकारी समस्त कोटपूतली–बहरोड/तहसीलदार समस्त कोटपूतली–बहरोड़।
6. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी कोटपूतली–बहरोड।

StudyGovtExam
Education News Group

राजस्थानसरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, डीडवाना–कुचामन

क्रमांक /सामान्य/अतिवृष्टि/2025/राजकाज रेफ नं. दिनांकः 24/08/2025

–ःआदेशः–

मौसम विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा भारी वर्षा की चेतावनी के मद्देनजर दिनांक 25.08.2025 से 26.08.2025 तक जिले में संचालित समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं जिले के कक्षा प्री प्राईमेरी से 12 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के भारी वर्षा से बचाव हेतु विद्यार्थियों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों का अवकाश घोषित किया जाना है।

अतः डीडवाना–कुचामन जिले में भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए जिले के समस्त आंगनबाड़ी एवं कक्षा प्री प्राईमेरी से 12 वीं तक के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों व कोचिंग संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए दिनांक **25.08.2025 से 26.08.2025** तक अवकाश घोषित किया जाता है।

विद्यालय/कोचिंग संस्थानों एवं आंगनबाड़ी के समस्त स्टॉफ यथावत कार्यरत रहेगें। यदि कोई भी संस्था प्रधान उक्त आदेश का उल्लघंन करता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(डॉ. महेन्द्र खड़गावत)
जिला कलक्टर,
डीडवाना–कुचामन

क्रमांक/सम/2025/ राजकाज रेफ नं दिनांक 24/08/2025

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ।
2. उपखण्ड अधिकारी /तहसीलदार (समस्त) .... जिला डीडवाना–कुचामन।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डीडवाना–कुचामन को निर्देशित किया जाता है कि जिले मे संचालित समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों/कोचिंग संस्थानों में उक्त आदेश की अक्षरशः पालना करवाया जाना सुनिश्चित् करे।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) डीडवाना–कुचामन ।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (समस्त) .... जिला डीडवाना–कुचामन।
6. उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, डीडवाना–कुचामन नियमानुसार पात्र बच्चों को पोषण सामग्री उनके घर तक पहुँचायेंगे।
7. समस्त संस्थाप्रधान, राजकीय, गैर राजकीय विद्यालयों/कोचिंग संस्थानों एवं आंगनवाड़ी पाठशाला/प्ले स्कूल, जिला डीडवाना–कुचामन
8. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी डीडवाना–कुचामन को [illegible] हेतु ।
9. रक्षितपत्रावली ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.08.24 14:55:14 IST
Reason: Approved

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

StudyGovtExam
Education News Group

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी

समग्र शिक्षा दौसा

आनन्द शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैम्पस लालसोट रोड़ दौसा

Telephone-01427-221972 E-Mail- cdeodausa@gmail.com

–:: कार्यालय आदेश ::–

जिले में मौसम विभाग द्वारा जारी की गई भारी बारिश (अतिवृष्टि) की चेतावनी के मध्येनजर जिले में संचालित राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में प्री–प्राईमरी कक्षा से कक्षा 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों का दिनांक 25.08.2025 से 26.08.2025 तक का अवकाश घोषित किया जाता है ।

समस्त सीबीईओ/पीईईओ/यूसीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करें । इस दौरान विद्यालय स्टाफ (शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक) यथावत विद्यालय में उपस्थित रहकर विभागीय कार्य सम्पादित करेगें ।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा दौसा

क्रमांक : जिपस/सशिअ/दौसा/2025/ 2050 दिनांक यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि :–

01. श्रीमान् निदेशक माध्यमिक/प्रार0 शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
02. श्रीमान् जिला कलक्टर दौसा ।
03. श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर ।
04. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रार0 दौसा ।
05. समस्त सीबीईओ जिला दौसा ।
06. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ/संस्थाप्रधान राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय जिला दौसा ।
07. कार्यालय प्रति ।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा दौसा

RajKaj Ref No.: 17351955

eSign 1.0

Signature Not Verified

Digitally signed by Indira Gupta
Designation : Chief District Education Officer
Date: 2025.08.24 14:01:29 IST
Reason: Approved

StudyGovtExam Education News Group

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांक : सामान्य / शिक्षा / 2025 / 1925 दिनांक : 24.08.2025

कार्यालय आदेश

मौसम विभाग की जिले में पुनः भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिले के सभी **राजकीय एवं निजी विद्यालयों में** अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की सुरक्षा के संदर्भ में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा के प्रस्तावानुसार मैं, जसमीत सिंह संधु (आई.ए.एस.), जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भीलवाड़ा, आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भीलवाड़ा जिले में संचालित **सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु दिनांक 25.08.2025 (सोमवार) का अवकाश घोषित करता हूं।** अवकाश के दौरान विद्यालय स्टाफ अपनी उपस्थिति अपने विद्यालय में यथावत देंगे।

उक्त आदेश की अवहेलना करने वाले विद्यालयों के विरूद्व आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

StudyGovtExam.in

(जसमीत सिंह संधु)
जिला कलक्टर एवं
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ –

1. निदेशक, माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. उपखण्ड अधिकारी, समस्त, जिला भीलवाड़ा उक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, भीलवाड़ा को देकर लेख है कि उक्तानुसार पालना सुनिश्चित करे।
4. कार्यालय प्रति।

(जसमीत सिंह संधु)
जिला कलक्टर एवं
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
जिला भीलवाड़ा

Signature valid

Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.08.24 14:18:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17351975

Azadi Ka Amrit Mahotsav

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी

एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, बून्दी
बीबनवा रोड, लाईन पुलिस के पीछे, बून्दी
Mail – cdeosmsa.bnd23@gmail.com 0747-2970019

क्रमांकः–मु.जिशिअ/बून्दी/सामान्य/2025-26/1750 दिनांक –24.08.2025

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक बून्दी
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,समस्त जिला बून्दी।

विषय :– भारी वर्षा के कारण विद्यार्थियों के लिये दिनांक 25.08.2025 का अवकाश घोषित करने के क्रम में।

प्रसंगः– श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी के निर्देशानुसार।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक निर्देशानुसार लेख है कि बून्दी जिले में भारी वर्षा की संभावना के कारण बून्दी जिले के सभी राजकीय /गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिये दिनांक 25.08.2025 का अवकाश घोषित किया जाता है। अवकाश घोषित दिनांक को सभी कार्मिक यथावत विद्यालयों में उपस्थित रहेगें।

अतः तत्काल आपके क्षैत्राधीन सभी राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों को सूचित कर पालना सुनिश्चित करवायें। साथ ही विद्यार्थियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा, बून्दी

क्रमांकः–मु.जिशिअ/बून्दी/सामान्य/2025-26/1750 दिनांक –24.08.2025

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महोदय बून्दी।
3. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला बून्दी।
4. श्रीमान् संयुक्त निदेशक महोदय,स्कूल शिक्षा कोटा संभाग कोटा।
5. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ तत्काल अपने परिक्षैत्र में सभी राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों से पालना करवाना सुनिश्चित करें।
6. समस्त संस्थाप्रधान राजकीय/गैर राजकीय विद्यालय जिला बून्दी।
7. रक्षित पत्रावली।

अन्य जलों का आदेश यहां से डाउनलोड करें

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा, बून्दी

Signature valid
Digitally signed by Dhanraj Meena
Designation: Assistant Director
Date: 2025.08.24 09:43:27 IST
Reason: Approved

StudyGovtExam.in